वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या : 560 /XVII-1/2010-10(21)/2009

प्रेषक,

एस.के.मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 29 जून 2010.

विषय :उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में प्राविधनित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 802/स.क./लेखा–प्रा.ध.अव./2010–11 दिनांक 02 जून,2010 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187/ XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–30 के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक–1 के अनुसार अवचनबद्व मदो में प्राविधानित धनराशि रूपये 8,20,000/– (रूपये आठ लाख बीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमासिक आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता के दृष्टिगत नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

5. धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही हैं। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आहरण–वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी.एम.–17 पर निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए। बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि तत्काल सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखना सुनिश्चित किया जाए।

12. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/ XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च 2010 में अंकित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथावांछित सूचनाएं निर्धारित समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनेत्तर पक्ष" के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 117(NP) /XXVII(1)/2010, दिनांक 28 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस.के.मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या :५८०/(1)/XVII-1/2010-10(21)/2009, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–560/XVII-1/2010-10(61)/2009, दिनांक 29 जून 2010 का संलग्नक–1 :

1. **अनुदान संख्या–30.** **आयोजनेत्तर.**

लेखाशीर्षक	:	2225–01–001–08–00
मुख्य शीर्षक	:	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक	:	01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक	:	001–निदेशन तथा प्रशासन
उप शीर्षक	:	08–अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय
ब्यौरेवार शीर्षक	:	00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	धनराशि
04–यात्रा व्यय	50
07–मानदेय	300
08–कार्यालय व्यय	50
11–लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	40
12–कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	20
16–व्यावासयिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300
18–प्रकाशन	20
19–विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	20
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	20
योग	**820**

(रूपये आठ लाख बीस हजार मात्र)

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।